भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 270
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का कार्यान्वयन

***270. श्री राजीव प्रताप रूडी:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एयर स्पोर्ट्स के लिए एक ढांचागत, सुरक्षित और सतत विनियामक पारितंत्र स्थापित करने के लिए नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी (एनएएसपी) लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में पंजीकरण के लिए उक्त पॉलिसी के अंतर्गत एयरो क्लब ऑफ इंडिया को नोडल शीर्ष निकाय और समर्थकारी प्राधिकरण के रूप में नामित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने पंजीकृत एयर स्पोर्ट्स ऑपरेटर हैं, कितने उपस्कर उड़ान योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और कितनी सुरक्षा संपरीक्षा की गई हैं;

(घ) शीर्षशासी निकाय और अलग-अलग नेशनल एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को सौंपी गई भूमिकाओं सहित स्तरीय नियंत्रण ढांचे का संरचनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को अपनाने, एयर स्पोर्ट्स उपस्करों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और एयर स्पोर्ट्स को क्षेत्रीय पर्यटन नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"नेशनल एयर स्पोर्टस पॉलिसी का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 270 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): राष्ट्रीय हवाई खेल दिशानिर्देश (एनएएसजी, 2023) को उद्देश्य देश में सुरक्षित, किफायती और संवहनीय हवाई खेलों को बढ़ावा देना है। इन दिशानिर्देशों ने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय हवाई खेल नीति (एनएएसपी) 2022 को अधिक्रमित किया है। ये दिशानिर्देश भारतीय हवाई खेल महासंघ (एएसएफआई) के माध्यम से हवाई खेलों के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करते हैं। राष्ट्रीय हवाई खेल दिशानिर्देश (एनएएसजी), हवाई खेल गतिविधियों में गैर-अनुपालन के लिए दंड, निलंबन और रद्दकरण के प्रावधानों के साथ-साथ शासन संरचना, सुरक्षा, संरक्षा, पंजीकरण, उड़ान अनुमति की रूपरेखा तैयार करता है। हवाई खेलों की विकसित होती प्रकृति को देखते हुए, दिशानिर्देश परिवर्तनशील हैं और समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), वायुयान नियम, 1937 और इसके तहत जारी डीजीसीए की नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार ग्लाइडर, माइक्रो-लाइट, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट (एलएसए), गायरोप्लेन, बेलून, पावर्ड हैंग ग्लाइडर जैसी डीजीसीए-विनियमित श्रेणियों के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं और लाइसेंसिंग की निगरानी करता है। हॉट एयर बैलून (एचएबी), मोटर ग्लाइडर और स्काईडाइविंग के लिए विमानों का परिचालन करने वाले प्रचालकों की सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई खेल संचालनों में लगे विमानों के लिए बारह (12) विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र (विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र/उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र) (एआरसी) जारी किए हैं। इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय के सतत सुरक्षा निगरानी कार्यक्रम के भाग के रूप में, वर्ष 2025-26 के दौरान तीन (3) सुरक्षा संपरीक्षा और एक (1) निगरानी की गई है।

अनुलग्नक-I

"नेशनल एयर स्पोर्टस पॉलिसी का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 270 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	**प्रचालक का नाम**	**श्रेणी**	**विमानों/एचएबी/ग्लाइडर की संख्या**
1	ई-फैक्टर एडवेंचर टूरिज्म (प्राइवेट) लिमिटेड	एनएसओपी	09 एचएबी
2	राजस एयरोस्पोर्ट्स एण्ड एडवेंचर्स प्रा. लिमिटेड (एयर सफारी)	एनएसओपी	02 एचएबी
3	आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	एनएसओपी	02 मोटर ग्लाइडर
4	ग्लोबल कनेक्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एरियल वर्क ऑथराइजेशन (स्काईडाइविंग)	02पी68सी विमान
5	गो फोर्थ एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	एरियल वर्क ऑथराइजेशन (स्काईडाइविंग)	01 सेसना 182पी विमान
6	मैक्सेन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	एरियल वर्क ऑथराइजेशन (स्काईडाइविंग)	01 जीए-8 विमान
